

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ23(46)/लेखा/आकाशि/कालीबाई (डीएनटी)/2022-23/7466

दिनांक: 05/10/23

आदेश

वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा संख्या 116 के अनुसरण में प्रदेश में विमुक्त, घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु समुदाय के उत्थान हेतु उक्त समुदाय की छात्राओं के लिए स्कूटी वितरण योजना प्रारम्भ करते हुए समेकित "कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2020 में संशोधन/परिवर्धन" योजना के जारी दिशा-निर्देश (आदेश क्रमांक 2137 दिनांक 24.12.2020) के अनुच्छेद संख्या 5 के पश्चात अनुच्छेद संख्या 6 जोड़ा जाकर विभाग के आदेश क्रमांक एफ23(17)/लेखा/आकाशि/छा.स्कू.योजना/ऑनलाईन/2021-22/132 दिनांक 27.04.2022 द्वारा अनुच्छेद संख्या 6 जोड़ा जाकर राज्य की विमुक्त, घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु समुदाय के नियम जारी किये गये हैं।

"कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2020" के अनुच्छेद संख्या 6 (अ) में निम्नानुसार आवश्यक संशोधन किया जाता है-

- (अ) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सैकेण्डरी या समकक्ष परीक्षा में 50 प्रतिशत
- विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु वर्ग की विशेष योग्यजन छात्राओं के लिए 6 स्कूटी आरक्षित रखी जायेगी। विशेष योग्यजन पात्र छात्राओं की अनुपलब्धता की स्थिति में ये वर्ग की सामान्य छात्राओं को दी जा सकेगी।

उपर्युक्त संशोधन का अनुमोदन वित्त विभाग की आई डी नम्बर 162301344 दिनांक 10.08.2023 से करने के उपरान्त जारी किये जा रहे हैं।

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ23(46)/लेखा/आकाशि/कालीबाई (डीएनटी)/2022-23/7467-75 दिनांक: 05/10/23
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, महोदय राजस्थान, जयपुर।
6. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. प्रभारी वेबसाइट को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

Signature valid

कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर
Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.09.24 09:01:34 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4622179

